

अंचल कार्यालय, बोआरीजोर।

आदेश फलक

राजस्व भू-विविध वाद संख्या-03/2020-21
मनोज टुडू बनाम सुरेश टुडू वगैरह साकिन-गोराडीह
दिनांक पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अनुपालन

10/06/25

आज दिनांक 10/06/25 को अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख में संचित कागजातों के अवलोकन से पाया कि आवेदक मनोज कुमार टुडू पिता-स्व0 सुराय टुडू ग्राम-गोराडीह द्वारा जमीन के खरीद विक्री से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में इसकी जाँच संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, बोआरीजोर द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गोराडीह थाना नं0-20 के जमाबंदी नं0-17 कुल रकवा 72-08-05 धूर भूमि जमाबंदी रैयत टुडू टुडू वो सुराय टुडू पेसरान रघु टुडू वो छोटा रघु टुडू वो छोटा टुडू टुडू वो छोटा सुराय टुडू पे0-भीमा टुडू कौम संताल साकिन-देह कहकर विगत् सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अंतर्गत दाग नं0-501 रकवा 00-06-01 धूर किस्म बाड़ी दोएम एवं दाग नं0-504 रकवा 00-15-15 धूर किस्म धानी शोएम के कैफियत कॉलम में दखल टुडू टुडू अंकित है, जिसके अंदर भूमि की खरीद विक्री का उल्लेख आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में किया गया है। आवेदक मनोज टुडू उक्त जमाबंदी के रैयत सुराय टुडू के वंशवृक्ष में आते हैं जबकि सुरेश टुडू वो जतन टुडू रैयत टुडू टुडू के वंशवृक्ष में आते हैं, जिनपर आवेदक द्वारा गैर आदिवासी को भूमि खरीद विक्री का आरोप लगाया गया है। प्रश्नगत दाग नं0-501 एवं 504 की भूमि के अंदर मकान निर्माणाधीन है जिसे सच्चो यादव पे0-मोहन यादव तथा उनके पुत्र गुडवा यादव के द्वारा बनवाया जा रहा है। यद्यपि आवेदन पत्र में प्रश्नगत भूमि के खरीद-विक्री का उल्लेख किया गया है, परन्तु स्थल जाँच के क्रम में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि अहस्तांतरणीय प्रकृति की है जिसकी खरीद-विक्री प्रतिबंधित है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मामला जनजातीय जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है, जिसपर निर्णय लेने में अधोहस्ताक्षरी सक्षम प्राधिकार नहीं है। अतः अभिलेख उचित निर्णयार्थ अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को भेजे। इस स्तर पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी
बोआरीजोर।